

## महर्षि दयानन्द रामरावती विश्वविद्यालय, अजमेर


अन्तर महाविद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन करवाने के लिए आयोजन सचिव / महाविद्यालय / विश्वविद्यालय अध्यक्ष प्रतिनिधि / पर्यवेक्षक को आवश्यक निर्देश

1. जिस महाविद्यालय में शारीरिक शिक्षक उपलब्ध हो वहाँ अन्तर महाविद्यालय प्रतियोगिता हेतु शारीरिक शिक्षक को ही आयोजन सचिव बनाया जाना अनिवार्य है।
2. महाविद्यालय द्वारा स्पोर्ट्स बोर्ड से सम्बद्धता हेतु रूपये 6000/- छात्रों हेतु एवं रूपये 6000/- छात्राओं हेतु पृथक्-पृथक् रूप से जमा कराना है। स्पोर्ट्स बोर्ड म0 द0 स0 विश्वविद्यालय, अजमेर से सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालय की टीम ही अन्तर महाविद्यालय प्रतियोगिताओं में भाग ले सकेगी।
3. महाविद्यालयों को जिन खेलों में भाग लेना है उनकी प्रविष्टि रजिस्टर्ड पत्र द्वारा संबंधित आयोजन सचिव एवं एक प्रति सचिव, स्पोर्ट्स बोर्ड, मदस विश्वविद्यालय, अजमेर के पास निर्धारित तिथि से पूर्व पड़ुय जानी चाहिए। प्रतिलिपि पर स्पोर्ट्स बोर्ड, न0 द0 स0 विश्वविद्यालय से सम्बद्धता हेतु शुल्क एवं खेल विकास शुल्क के इनपट ने एवं दिनांक ऑफित करें।
4. अन्तर महाविद्यालय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी 10वीं, 12वीं एवं कॉलेज की सभी कक्षाओं की मूल अंकतालिकाओं (नेट से डाउनलोड मान्य नहीं) मय एक-एक फोटो प्रति के तथा पासपोर्ट साइज की चार फोटो कॉलेज में प्रवेश की रसीद, आधार कार्ड एवं महाविद्यालय द्वारा जारी परिचय पत्र निश्चित रूप से अवश्य साथ लावे अन्यथा प्रतियोगिता में भाग नहीं लेने दिया जावेगा। इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी महाविद्यालय प्रशासन एवं संबंधित खिलाड़ी की होगी। पूरक परिक्षा आने वाले विद्यार्थी प्रतियोगिता में भाग नहीं लेने दिया जावेगा।
5. अन्तर महाविद्यालय प्रतियोगिता में खिलाड़ियों को विविध खेलों में भाग लेने के लिए योग्यता प्रमाण-पत्र (क्रमांक 4 पर अकित) पृथक्-पृथक् रूप से प्रस्तुत करने होंगे।
6. अन्तर महाविद्यालय प्रतियोगिता के अधोहस्ताक्षरकर्ता को रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
7. आयोजक महाविद्यालय प्रतियोगिता की समाप्ति के तीन माह के अन्दर समर्त अभिलेख प्रमाणित कर योग्यता प्रोफोर्मा, प्रमाण पत्रों का लेखा जोखा, परिचय पत्र की छायाप्रति तथा व्यय का औप्लिट रिपोर्ट के साथ) अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजें तत्पश्चात ही अंशदान राशि निजवाई जायेगी। तीन माह में उक्त प्रपत्र नहीं भेजे जाने पर विश्वविद्यालय नियन्त्रित कार्यवाही की जावेगी।
8. सभी खेलों के द्वारा अयोजन सचिव द्वारा नियन्त्रित तिथि एवं समय पर उपरिथित महाविद्यालयों के प्रतियोगिताओं के अनुसार दरिजत किया जायेगा। आयोजन सचिव एवं इन खेलों में भाग लेना है उसी में अपनी प्रविष्टि भेजें।
9. किंकेट पुरुष प्रतियोगिता का द्वारा प्रविष्टि की अन्तिम तिथि के तीन दिन के बाद, खेल कूद / प्रतिनिधित्व के समझ डाला जावे। क्वार्टर फाईनल, सेमीफाईनल, फाईनल एवं चयन स्पर्धा भी इन्हीं के सम्मुख होगी। अन्तर महाविद्यालय किंकेट प्रतियोगिता का जिस महाविद्यालय को आवंटन किया जायेगा उसे यह प्रतियोगिता आयोजित कराना अनिवार्य होगा।
10. छात्रों के लिए इस सत्र में हेमर थो, द्विपल जम्य, हेटथलन, 100/400 मीटर बाधा दौड़ 10000 मीटर दौड़ तथा 5 किलोमीटर वॉक एवं पुरुषों के लिए 10 किलोमीटर पुरुष / महिला हाफ मैराथन की होगी तथा आयोजक महाविद्यालय भाग लेने वाले महाविद्यालयों को डिटेल प्रविष्टि हेतु दिनांक निश्चित कर सुचित करें।
11. अन्तर महाविद्यालय प्रतियोगिता में अध्यक्ष प्रतिनिधि / पर्यवेक्षक ही कोटेंड में्डर की नियुक्ति कर सचिव खेल बोर्ड / आयोजन सचिव को सुचित करें।
12. आयोजक महाविद्यालय को निर्देशित किया जाता है कि जिन खेलों में छात्रों एवं छात्राओं की प्रतियोगिताएं एक साथ आयोजित होगी उनके रहने व खाने की व्यवस्था समुचित रूप से पृथक् करें।
13. प्रत्येक खेल की प्रविष्टि पृथक् - पृथक् रूप से नियन्त्रित तिथि अनुसार भेजें। सभी खेलों की प्रविष्टि एक साथ एक पत्र में ना भेजे अन्यथा मान्य नहीं होगी। एथलेटिक कॉर्स कान्ट्री व किंकेट खेलों की प्रविष्टि आयोजन तिथि से एक माह पूर्व तथा अन्य खेलों की प्रविष्टि 10 दिवस पूर्व आयोजक महाविद्यालय व सचिव स्पोर्ट्स बोर्ड, मदस विश्वविद्यालय को प्रेषित करें।

14. आयोजन सचिव विश्वविद्यालय परीक्षक, अध्यक्ष प्रतिनिधि प्रतियोगिता प्रारम्भ होने से पूर्व खिलाड़ियों के परिचय पत्र, योग्यता प्रोफोर्म की जांच उपसन्त ही हस्ताक्षर करें। सेमीफाईनल में पहुंची टीमों के सभी मूल दस्तावेज़, (अंकतालिकाओं) इत्यादि की जांच कर पुष्ट कर लें। सेमीफाईनल की टीमों का युप फोटो तथा मूल दस्तावेज़ों की जांच आवश्यक है। छाँके समय विश्वविद्यालय परीक्षक व अध्यक्ष प्रतिनिधि आवश्यक रूप से उपस्थित रहें। छाँके प्रतियोगिता की पूर्व संख्या को मैनेजर मिटिंग में डाला जायेगा। उसमें सभी मैनेजर का उपस्थित रहना आवश्यक है।
15. यदि पुरुष प्रतियोगिता में चार व महिला प्रतियोगिता में तीन दलों से कम संख्या हों तो केवल चयन स्पर्धा को ही आयोजित करावे तथा किसी तरह का प्रमाण पत्र नहीं दिया जावे।
16. दल के साथ शासीरिक शिक्षक अथवा व्याख्याता होने पर ही दल को प्रतियोगिता में भाग लेने देवे।
17. गत वर्षों के विजेता महाविद्यालय चल वैजयन्ती को पॉलिश करवाकर सही स्थिति में संबंधित आयोजक महाविद्यालय को प्रतियोगिता से पूर्व भिजवाकर अधोहस्ताक्षरकर्ता को भिजवावे, शील्ड नहीं भेजने पर प्रतियोगिता में वर्ष की वैजयन्ती की प्राप्ति की रसीद की एक प्रति विजेता महाविद्यालय से लेकर आयोजन सचिव की रिपोर्ट के साथ अधोहस्ताक्षरकर्ता को भिजवावे, शील्ड नहीं भेजने पर प्रतियोगिता में भाग नहीं लेने दिया जावे।
18. अन्तर महाविद्यालय पुरुष एवं महिला क्रॉस कर्नी प्रतियोगिता में केवल प्रथम तीन व्यक्तिगत स्थान प्राप्त करने वाले को ही प्रमाण-पत्र देवे।
19. ऐंथेलेटिक्स, भारोत्तोलन, पावर लिफिटिंग में इस विश्वविद्यालय द्वारा ऐआईयू के सिक्स रेटेन्डर्ड के अनुसार ही अन्तर महाविद्यालय प्रतियोगिता की बेरट परफोरमेन्स को योग्यता का मापदण्ड मानकर खिलाड़ियों का अन्तर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता हेतु चयन किया जावे। उपरोक्तानुसार सही नहीं पाये जाने पर चयन निरस्त समझा जायेगा एवं ऐसे खिलाड़ियों को किसी भी तरह को भत्ता देय नहीं होगा।
20. अन्तर महाविद्यालय किंकेट प्रतियोगिता पुरुष / महिला के मैच 50-50 ओवर के होंगे।
21. व्यक्तिगत प्रतियोगिताओं के लिये निर्णायक शुल्क रूपये 800 ऐंथेलेटिक्स प्रतियोगिता के लिए रूपये 1000/- किंकेट पुरुष / महिला प्रतियोगिता के लिए प्रति मैच रूपये 1000/- तथा अन्य समस्त प्रतियोगिताओं के लिए प्रति मैच रूपये 600/- होंगे तथा किसी भी आयोजक महाविद्यालय द्वारा उक्त वर्षित राशि से अधिक राशि वसूलने की जानकारी प्राप्त होती है तो उस आयोजक महाविद्यालय को एक वर्ष के लिये डिवार कर दिया जायेगा। निर्णायक शुल्क निर्णायकों के बीच प्रतियोगिता के बाद अध्यक्ष / आयोजन सचिव द्वारा वितरित किया जायेगा। इसका हिसाब महाविद्यालय प्राचार्य को सूपूर्द करना होगा।
22. मुख्य परीक्षा में जिन छात्रों का परिणाम वैकल्पिक विषय में पूरक घोषित हुआ है, वे छात्र-छात्रा अन्तर महाविद्यालय / अन्तर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकेंगे। पूरक का परिणाम पास होने पर भी केवल 'नियमित विद्यार्थी' होने पर भाग ले सकेंगा।
23. पर्टिवेक्षक / अध्यक्ष प्रतिनिधि / आयोजन सचिव को चयन सूची निर्धारित प्रपत्र में ही सचिव को भेजा जाना आवश्यक है। चयन सूची के प्रपत्र (परिषिष्ट 3) में निर्धारित संख्या एवं भाषा में किसी प्रकार का परिवर्तन अमान्य होगा। आयोजक महाविद्यालय चयनित खिलाड़ियों की सूची भैरिट के आधार पर ही प्रेषित करेंगे तथा रिजर्व सूची भी अलग से बनाकर प्रेषित करेंगे।
24. विश्वविद्यालय स्पोर्ट्स बोर्ड के अन्तर्गत अन्तर महाविद्यालय प्रतियोगिता इस वर्ष में जिन स्पर्धाओं का आयोजन होगा उनके आधार पर जनरल चैम्पियनशिप निर्धारित होंगी।
25. अनुशासनहीन खिलाड़ियों का महाविद्यालय / विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश निरस्त किया जा सकता है और साथ ही मुख्य परीक्षा से निर्वित किया जा सकता है।
26. कोच, मैनेजर, स्पोर्ट्स बोर्ड प्रतिनिधि, परीक्षक, आयोजन सचिव, प्राचार्य आदि को स्पोर्ट्स बोर्ड के अध्यक्ष, सचिव एवं अनुभागाधिकारी द्वारा टेलिफोनिक मैसेज एवं अन्य संचार माध्यमों से दी गई सूचना को अधिकारिक सूचना माना जावे।
27. खेल प्रमाण पत्र दिये जाने हेतु खिलाड़ी का नियमित छात्र होना तथा उसको परीक्षा में प्रविष्ट होना अत्यन्त अनिवार्य है ऐसा न होने पर भविष्य में भी खिलाड़ियों के खेलने पर भी प्रमाण पत्र नहीं दिया जावे।

//3//

28. अन्तर महाविद्यालय / विश्वविद्यालय कॉस कॉर्टी दोड प्रतियोगिता ए.आई.यू.के नियमानुसार ही आयोजित की जाएगी। अतः पुल्षों में 6 धावक व महिलाओं में 6 धावक भाग लेंगे।
29. भाग लेने वाली सभी टीम निर्धारित किट में या निर्धारित रूप के अपने झण्डे के साथ उपस्थित हों।
30. सभी प्रतियोगिताओं के लिये अनिवार्य है कि वे 1 जुलाई 2023 को 17 वर्ष से कम व 25 वर्ष से ज्यादा ना हों।
31. आयोजक महाविद्यालय प्रत्येक बैच की 10 मिनिट की चिडियो कलीपिंग अनिवार्य रूपसे सचिव, स्पोर्ट्स बोर्ड को भरेंगे।
32. विश्वविद्यालय पर्वेज़क एवं अध्यक्ष प्रतिनिधि का दायित्व है कि वे प्रतियोगिता समाप्ति के बाद चयनित खिलाड़ियों की सूची आवश्यक रूपसे सचिव, स्पोर्ट्स बोर्ड को सौंपेंगे।
33. सभी खेल संघों (Federation) के नियमानुसार खिलाड़ियों की संख्या होगी।
34. अन्तर महाविद्यालय प्रतियोगिता हेतु आयोजक महाविद्यालय खिलाड़ी छात्रों की Eligibility (पात्रता) पूर्णरूप से सुनिश्चित करेगा। यदि किसी छात्र/छात्रा को परिणाम नहीं आने की विधि में Provisionally खिलाया जाता है और परिणाम बाद में आने पर छात्र फैल हो जाता है तो उसकी Provisional पात्रता रद्द कर दी जायेगी तथा किसी भी स्थिति में प्रमाण पत्र नहीं दिया जायेगा।
35. ए.आई.यू. से प्राप्त दिशा-निर्देशों के अनुरूप समर्त महाविद्यालय, स्पोर्ट्स बोर्ड व आयोजक महाविद्यालय से सम्पर्क कायम रखें।
36. सभी प्रतिभागी महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय सम्बद्धता शुल्क जमा करना आवश्यक है। इसकी रसीद प्राप्त होने के पश्चात ही आयोजक महाविद्यालय इन्हे प्रतियोगिता में शामिल करें।
37. आयोजक महाविद्यालय द्वारा सभी प्रतिभागी खिलाड़ियों के रहने की समुचित व्यवस्था करनी होगी। जिसमें बिस्तर, पानी इत्यादि की व्यवस्था आवश्यक है।
38. शुटिंग (न०/पू०) प्रतियोगिता में एयर पिस्टल व राइफल 10 मीटर एवं आर्चरी(न०/पू०) सिर्फ इडिडियन राऊंड खिलाया जायेगा।
39. सत्र 2023-24 की समस्त अन्तर महाविद्यालयी प्रतियोगिताएँ ए.आई.यू.के नवीनीकृत निर्देशानुसार होंगी।

  
सचिव, स्पोर्ट्स बोर्ड  
२५/०९/२३